रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 149] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 1, 1986/आषाढ़ 10, 1908
No. 149] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 1, 1986/ASADHA 10, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1986

अधिसूचना

सं. आर.एस. 7/2/86-एम :—राज्य सभा द्वारा 14 मई, 1986 को हुई अपनी बैठक में स्थगित रूप में राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों में निम्नलिखित संशोधनों को सामान्य जानकारी के लिए यहां प्रकाशित किया जा रहा है :—

नियम 25

उप-नियम (3) में विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि उप-नियम (2) के खंड (अ) के अधीन आने वाले विधेयकों की सापेक्ष पूर्ववर्तिता का निर्धारण करने के लिए भारसाधक सदस्यों के नाम लाटरी द्वारा निकाले जायेंगे और लाटरी में प्रथम दस स्थान प्राप्त करने वाले सदस्यों के विधेयकों को गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के निपटाने के लिए नियत किसी दिवस की कार्यविधि में सम्मिलित किया जायेगा ;

परन्तु यह और कि यदि किसी सदस्य के नाम में एक से अधिक विधेयक संचित हों, तो वह अपने विधेयकों में से एक ही विधेयक का चयन करने के लिए पात्र होगा;

परन्तु यह और भी कि कोई भी सदस्य उसी सत्र में नियम (2) के खंड (अ) के अधीन आने वाले एक से अधिक विधेयक के संबंध में कोई प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए पात्र नहीं होगा।"

नियम 28

उप नियम (2) में, "और ऐसी सूचना मिलने पर ऐसे विधेयक या संकल्प की सापेक्ष पूर्ववर्तिता लाटरी द्वारा निर्धारित की जायेगी।" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किये जायें, अर्थात् :—

"और ऐसी सूचना मिलने पर किसी ऐसे विधेयक या संकल्प को, जैसी भी स्थिति हो, उस दिन के लिए रखे गये अन्य विधेयकों या संकल्पों से पूर्ववर्तिता प्राप्त होगी।"

नियम 29

उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"जब तक सभापति अन्यथा निदेश न दे, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों या संकल्पों को, जैसी भी स्थिति हो, निपटाने के लिए

नियत किसी दिन को कार्यसूचि में, नियम 25 के उपनियम (2) के खंड (ज) के अधीन अने वाले दस विधेयकों या पांच संकल्पों (नियम 27 के परन्तुक या नियम 28 के उप-नियम (2) के अधीन अने वाले किसी विधेयक या संकल्प के अतिरिक्त) से अधिक विधेयक या संकल्प नहीं रखे जायेंगे ।

अध्याय 17ग और नियम 212त से 212ब (नये)

अध्याय 17ख के बाद निम्नलिखित नया अध्याय 17ग अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"अध्याय 17-ग

आवास-समिति

212-त आवास-समिति: एक आवास समिति होगी ।

212-थ गठन: (1) समिति में सात सदस्य होंगे, जो सभापति द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे ।

(2) उप-नियम (1) के अधीन नाम-निर्देशित समिति कोई नई समिति नाम निर्देशित होने तक कार्य करती रहेगी ।

(3) समिति में आकस्मिक रूप से रिक्त हुए स्थानों की पूर्ति सभापति द्वारा की जायेगी ।]

212-द समिति का अध्यक्ष : —(1) समिति का अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से सभापति द्वारा नियुक्त किया जायेगा ।

(2) यदि समिति का अध्यक्ष किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ हो, तो सभापति उसी प्रकार से उसके स्थान पर समिति का एक अन्य अध्यक्ष नियुक्त कर सकेगा ।

(3) यदि समिति का अध्यक्ष किसी बैठक में अनुपस्थित रहे, तो समिति किसी अन्य सदस्य को उस बैठक में समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए चुनेगी ।

212-ध गणपूर्ति: —(1) समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति तीन से होगी ।

(2) समिति का अध्यक्ष प्रथमतः मत नहीं होगा परन्तु किसी विषय पर मतों की संख्या समान होने की अवस्था में उसका मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा ।

212-न साक्ष्य लेने अथवा पत्र अभिलेख अथवा प्रलेख मांगने की शक्ति: —(1) यदि समिति अपने कर्तव्यपालन के लिए व्यक्तियों की उपस्थिति अथवा पत्र अथवा अभिलेख प्रस्तुत कराना आवश्यक समझे, तो उसे ऐसा मार्ग अपनाने की शक्ति होगी :

परन्तु सरकार किसी प्रलेख को प्रस्तुत करने से इस आधार पर इन्कार कर सकेगी कि उसका प्रकट किया जाना राज्य की सुरक्षा या हित के प्रतिकूल होगा ।

(2) इस नियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए महासचिव द्वारा हस्ताक्षरित आदेश के द्वारा किसी साक्षी को आमंत्रित किया जा सकेगा और वह ऐसे प्रलेख प्रस्तुत करेगा जो समिति के उपयोग के लिए अपेक्षित हो ।

(3) यह समिति के स्वविवेक पर निर्भर होगा कि वह अपने सामने दिये गये किसी साक्ष्य को गुप्त या गोपनीय रखे ।

212-प कृत्य : —समिति के कृत्य इस प्रकार होंगे :—

(1) सदस्यों के निवास स्थानों से संबंधित सभी मामलों को निपटाना;

(2) सदस्यों को दी गई आवास, टेलीफोन, खाद्य पदार्थ तथा चिकित्सीय सहायता जैसी अन्य सुविधाओं को देख-रेख करना; और

(3) सदस्यों को ऐसी सुविधाएं देने के बारे में विचार करना और उन्हें प्रदान करना, जिन्हें समय-समय पर आवश्यक माना जाए ।

212-फ प्रतिवेदन का उपस्थापन : —समिति का प्रतिवेदन राज्य सभा में समिति के अध्यक्ष द्वारा या, उसकी अनुपस्थिति में, समिति के किसी सदस्य द्वारा उपस्थित किया जाएगा ।

212-ब प्रक्रिया का विनियमन : —समिति सदस्यों को आवास तथा अन्य सुविधाओं से संबंधित सभी विषयों के बारे में अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगी ।

संख्या आर.एस. 7/2/86-एल.—राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों के नियम 220 के उप-नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यसभा के सभापति एतद्द्वारा जुलाई 1986 का प्रथम दिवस उस तारीख के रूप में नियत करते हैं, जिस तारीख को दिनांक 1 जुलाई, 1986 के भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 1 जुलाई, 1986 की अधिसूचना संख्या आर.एस. 7/2/86-एल. के अन्तर्गत प्रकाशित नियमों में किए गए संशोधन प्रवृत्त होंगे ।

कृष्णा कुमारी चोपड़ा, अपर सचिव
कृते महासचिव ।

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi, 1st July, 1986

NOTIFICATION

No. RS. 7/2/86-L.—The following amendments to the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States (Rajya Sabha) as adopted by the Rajya Sabha at its sitting held on the 14th May, 1986, are hereby published for general information :—

Rule 25

In sub-rule (3) for the existing proviso, the following proviso be substituted, namely :—

"Provided that for the purpose of determining the relative precedence of Bills falling under clause (h) of sub-rule (2), names of member-in-charge shall be drawn by lot and Bills of those members who secure the first ten places in the draw shall be included in the List of Business for any day allotted for the disposal of private members' Bills;

Provided further that if a member has more than one Bill pending against his name, he shall be eligible to select one of his Bills;

Provided also that no member shall be eligible to make any motion in respect of more than one Bill falling under clause (h) of sub-rule (2) in the same session."

Rule 28

In sub-rule (2) for the words "and on receipt of such notice the relative precedence of such bill or resolution shall be determined by draw of lot", the following be substituted namely :—

"and on receipt of such notice such a Bill or resolution shall have precedence over other Bills or resolutions, as the case may be, set down for that day.

Rule 29

For sub-rule (4) substitute the following namely:—

"Unless the Chairman otherwise directs, not more than ten Bills falling under clause (h) of sub-rule (2) of rule 25, or five resolutions [in addition to any Bill or resolution falling under proviso to rule 27 or sub-rule (2) of rule 28] shall be set down in the list of business for any day allotted for the disposal of private members' Bills or resolutions, as the case may be."

Chapter XVIIC and Rules 212P to 212W (New)

After Chapter XVIIB, the following new Chapter XVIIC be inserted, namely :—

"CHAPTER XVIIC

HOUSE COMMITTEE

212P. House Committee—There shall be a House Committee.

212Q. Constitution.—(I) The Committee shall consist of seven members who shall be nominated by the Chairman.

(2) The Committee nominated under sub-rule (1) shall hold office until a new Committee is nominated.

(3) Casual vacancies in the Committee shall be filled by the Chairman.

212R. Chairman of Committee.—(1) The Chairman of the Committee shall be appointed by the Chairman from amongst the members of the Committee.

(2) If the Chairman of the Committee is for any reason unable to act, the Chairman may similarly appoint another Chairman of the Committee in his place.

(3) If the Chairman of the Committee is absent from any meeting, the Committee shall choose another member to act as Chairman of the Committee for that meeting.

212S. Quorum .—(1) In order to constitute a meeting of the Committee, the quorum shall be three.

(2) The Chairman of the Committee shall not vote in the first instance but in the case of an equality of votes on any matter, he shall have, and exercise, a casting vote.

212T. Power to take evidence or call for papers, records or documents.—(1) The Committee shall have power to require the attendance of persons or the production of papers or records, if such a course is considered necessary for the discharge of its duties :—

Provided that Government may decline to produce a document on the ground that its disclosure would be prejudicial to the safety or interest of the State.

(2) Subject to the provisions of this rule, a witness may be summoned by an order signed by the Secretary-General and shall produce such documents as are required for the use of the Committee.

(3) It shall be in the discretion of the Committee to keep any evidence tendered before it as secret or confidential.

212U. Functions.—The functions of the Committee shall be—

(1) to deal with all matters relating to residential accommodation of members;

(2) to exercise supervision over facilities for accommodation, telephone, feed, medical aid and other amenities accorded the members; and

(3) to consider and provide such amenities to members as may be deemed necessary from time to time.

212V. Presentation of report.—The report of the Committee shall be presented to the Council by the Chairman of the Committee or, in his absence, by any member of the Committee.

212W. Regulation of procedure.—The Committee shall determine its own procedure in connection with all matters connected with accommodation and other amenities to members."

No. RS. 7|2|86-L.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 220 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States (Rajya Sabha), the Chairman, Rajya Sabha, hereby appoints the first day of July, 1986, as the date on which the amendments to the Rules published under Notification No. RS. 7|2|86, dated the 1st July, 1986, in the Gazette of India Extraordinary of the 1st July, 1986, shall come into force.

(Smt.) K. K. CHOPRA, Addl. Secy. for Secy. Genl.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986